>

Title: Situation arising out of non-procurement of wheat from the farmers in Uttar Pradesh at the declared support price.

श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज): सभापति महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बहुत महत्वपूर्ण लोक महत्व किसानों से जुड़े हुए विषय पर बोलने के लिए समय दिया है। इस समय राज्य सरकार द्वारा समर्थन मूल्य पर किसानों के गेहूं की खरीद की जा रही है। पिछले दिनों सिद्धार्थ नगर में भी किसानों के गेहूं की खरीद के लिए 70 क्रय केंद्र बनाए गए थे। पहली अप्रैल से राज्य सरकार द्वारा निर्देशित किया गया कि पहली अप्रैल से पूरे राज्य में गेहूं की खरीद सीधे किसानों से सुनिश्चित की जाएगी। पहली से पन्द्रह अप्रैल तक सिद्धार्थ नगर जनपद में किसानों के गेहूं की खरीद की कोई व्यवस्था नहीं की गई। मैंने राज्य सरकार से भी कहा। आज स्थिति यह है कि जो तमाम एजेंसियां खरीद रही हैं, चाहे मार्केटिंग हो, एग्रो हो या फेडरेशन की हो, आज किसानों से न खरीद करके बिचौलियों के गेहूं की खरीद हो रही है। किसानों का जो समर्थन मूल्य 1185 रुपए प्रति क्विंटल है, उसकी जगह पर 900 से 950 रुपए प्रति क्विंटल किसानों को अपना गेहूं बेचना पड़ा, क्योंकि उनकी होल्डिंग कैपेसिटी नहीं है। इस तरह से किसानों के समक्ष जो उनका उचित उत्पादन मूल्य और समर्थन मूल्य है, वह नहीं मिल रहा है। किसान गेहूं को इसलिए भी नहीं रख सकते हैं क्योंकि उन्हें कहीं सिंचाई का पैसा देना है, कहीं बीज का पैसा देना है।

मैं समझता हूं कि यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है। किसानों से सीधे फसल की खरीद की जाए और सरकार की जो मंशा है कि किसानों को समर्थन मूल्य मिले, वह किसानों को मिल सके।

सभापति महोदय :

श्री पी.एल. पुनिया अपने आपको श्री जगदम्बिका पाल द्वारा उठाए गए मुद्दे से सम्बद्ध करते हैं।